



Neutral Citation No. 2026:AHC:21201

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 366 / 2026

राज कुमारी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

राजस्व परिषद, इलाहाबाद, उ० प्र०

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता :

सुनील कुमार पांडे यादवेंद्र द्विवेदी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"राजस्व परिषद इलाहाबाद उ० प्र० को इस आशय की कोई रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के तहत दायर पुनरीक्षण संख्या 111/20062007 (विक्रम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दिनांक 24.08.2007 पर विचार करे और एक निर्धारित अवधि के भीतर उसका निर्णय करे।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि निजी प्रत्यर्थी गण द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका जिसमें याचिकाकर्ता को एक प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है वर्ष 2007 से ही प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेशपत्र भी प्रस्तुत की ताकि यह दर्शाया जा सके कि यह मुकदमा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पिछले लगभग 18 वर्षों से लंबित है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए—और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने हेतु निर्णय करे यह निर्णय यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर किया जाए जिसमें संबंधित पक्षों को विधि के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"